

ADITYA BIRLA**UltraTech**

Detail of CA land for Forest diversion area of 331.475 ha for proposal No. FP/UP/MIN/47074/2020 of Kajrahat (Dalla) Limestone Mines					
Sr. No.	Forest Division	Tehsil	Village	Gata No.	CA land in ha
1	Kaimoor	Lalganj	Paudi Rampur	474 Kha	6.717
2			Badahua	651	8.000
				561 Da	15.224
3			Parasia Mudhpele	4 Chha	8.000
				686 Gha	22.600
Total CA land at Kaimoor					60.541

Sr. No.	Forest Division	Tehsil	Village	Gata No.	CA land in ha
1	Mirzapur	Lalganj	Manikpur	3 Chha	9.131
2			Urua	78 Ya	25.378
3		Marihan	Raikra	108 Tha	11.690
4		Chunar	Chak Gambhira	114 Mi	127.502
5		Sadar	Sindhora	1007	30.111
Total CA land at Mirzapur					203.812

Sr. No.	Forest Division	Tehsil	Village	Gata No.	CA land in ha
1	Chitrakoot	Manikpur	Chureh Keshrue	1689	17.10
				1690	0.57
				1691	2.19
				1692	0.86
				1693	2.02
				1694	0.86
				1695	0.32
				1696	0.84
				1697	2.34
				1698	4.84
Total CA land at Chureh Keshrue					31.94

Page 1 | 2

 UltraTech Cement Limited
 Unit: Dalla Cement Works

UltraTech
CEMENT

The Engineer's Choice

Authorised Signatory

UltraTech Cement Limited

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (UP) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel.: +91 22 66917800

ADITYA BIRLA



Detail of CA land for Forest diversion area of 331.475 ha for proposal No. FP/UP/MIN/47074/2020 of Kajrahat (Dalla) Limestone Mines					
Sr. No.	Forest Division	Tehsil	Village	Gata No.	CA land in ha
1	Chitrakoot	Manikpur	Kusumi	117	24.955
				118	0.280
				119	11.5309
				126	0.928
				127	1.601
				128	0.035
				132	0.924
Total CA land at Kusumi					40.254
Total CA land in Kaimoor, Mirzapur and Chitrakoot Forest Division					336.547

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works
Authorised Signatory



UltraTech Cement Limited

Page 2 | 2

Unit: Dalla Cement Works : SH 5, Post: Dalla, Distt. Sonbhadra (U.P.) - 231207.

Tel.: +91 5445 265778, 265801, 265802 | W: www.ultratechcement.com | CIN : L26940MH2000PLC128420

Regd. Office : 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Tel.: +91 22 66917800

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक- 3366 /मीरजापुर/33-1, दिनांक, मीरजापुर, अप्रैल, 0, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा।

विषय:- मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 के अन्तर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि का VIP शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के अनुसार परीक्षण एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-1606/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 31-01-2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मे0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि0 के अन्तर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि हेतु मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को गैर वन भूमि के रूप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी /2018 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षण कर प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट करने हेतु आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। तत्कम में प्राप्त गैर वन भूमि का परीक्षण VIP शासनादेश दिनांक 28 जून 2019 के अनुसार राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। परीक्षणोपरान्त तहसील-लालगंज, मड़िहान, सदर एवं चुनार द्वारा रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी, जिसका विवरण सारांश निम्नवत् है-

क्र0 सं0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	परीक्षण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि का गाटावार विवरण		VIP-शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का सारांश		अभ्युक्ति
			गाटों की संख्या	रकबा (हे0 में)	गाटों की संख्या	रकबा (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चुनार	चकगम्भीरा	1	127.502	1	127.502	—
2	सदर	सिंधौरा	1	39.911	1	39.911	—
3		मानिकपुर	1	9.131	1	9.131	—
4	लालगंज	नौदर	1	17.769	0	0	ग्राम- नौदर का आ0सं0-1क मि0/रकबा-17.769, पुराकाशीनाथ का आ0सं0- 235मी0/रकबा-16.046 एवं रैकरा का आ0सं0-108य मि0/4.238, हे0 भूमि वर्तमान खतौनी की नवैयत/1359 फसली की नवैयत में गाटा/अंश गाटा जंगल, झाड़ी, वन दीगर, धारा-4, धारा-20 आदि से आच्छादित होने एवं वन संरक्षण अधिनियम की परिधि में होने के कारण उपरोक्त गाटों/रकबा को स्वीकार नहीं किया गया।
5		पुराकाशीनाथ	1	16.046	0	0	
6		उरुआ	1	25.378	1	25.378	
7	मड़िहान	रैकरा	2	15.928	1	11.690	
योग			8	251.665	5	213.612	

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी/2018 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षण करने के उपरान्त उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में, सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी, जिसे उप प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक-352/एस0डी0ओ0/33 दिनांक 08.04.2025 एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार के पत्रांक-14/एस0डी0ओ0/चुनार दिनांक 28.03.2025 द्वारा इस कार्यालय को संस्तुति सहित उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर स्थलवार विवरण निम्न प्रकार है-

UltraTech Cement Limited
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory

क्र० सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता की वर्तमान स्थिति	
			VIP-शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का सारांश			
1	2	3	गाटा संख्या	रकबा (हे० में)	8	
1	चुनार	चकगम्भीरा	114मि०	127.502	ग्राम-चकगम्भीरा के आ०सं०-114मी०/रकबा-127.502 हे० (कुल रकबा-138.80 हे०) का मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 20 हे० भूमि मोरमयुक्त एवं पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी। शेष भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।	
2	सदर	सिंधीरा	1007	39.911	ग्राम-सिंधीरा के आ०सं०-1007/रकबा-39.911 हे० का मौके का निरीक्षण किया गया, भूमि अत्यधिक पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी।	
3		मानिकपुर	3छ	9.131	स्थलीय निरीक्षण के दौरान वर्तमान स्थिति निम्नवत् पायी गयी- 1. लगभग 3 हे० भूमि पर गेहूँ बोया गया है अतः यह अतिक्रमित है। 2. शेष 6.131 हे० वन भूमि अत्यन्त उबड़-खाबड़, पथरीली एवं कंकरीली है जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है।	
4	लालगंज	उरुआ	78य	25.378	स्थलीय निरीक्षण के दौरान वर्तमान स्थिति निम्नवत् पायी गयी- 1-बस्ती बसी हुई है 14-15 लोगो का कच्चा व पक्का आवास लगभग 4 हे० क्षेत्र में बसा हुआ है। 2-लगभग 6 हे० बन्धी का निर्माण हुआ है जो डूब क्षेत्र में है तथा वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है। 3-शेष 18.878 हे० क्षेत्रफल पथरीला एवं कंकरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है।	
5	मड़िहान	रैकरा	108ठ	11.690	प्रश्नगत गाटे में लगभग 5 हे० भूमि पर अत्यधिक स्लोप/दलान है तथा पथरीला क्षेत्र है। शेष 6.69 हे० क्षेत्रफल ही वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।	
गोश्वारा						
क्र० सं०	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे० में)	अभ्युक्ति		
				वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षे० (हे० में)	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त परन्तु अतिक्रमित क्षे० (हे० में)	मोरमयुक्त/पथरीला/अन्य कारणों से अनुपयुक्त क्षे० (हे० में)
1	चकगम्भीरा	114मि०	127.502	107.502	-	20.00
2	सिंधीरा	1007	39.911	-	-	39.911
3	मानिकपुर	3छ	9.131	-	3.00	6.131
4	उरुआ	78य	25.378	-	4.00	21.378
5	रैकरा	108ठ	11.690	6.690	-	5.00
योग			213.612	114.192	7.00	92.42

उपरोक्त गैर वन भूमि का क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावक विभाग (मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग को वनीकरण योग्य एवं विवाद रहित तथा अतिक्रमण मुक्त जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त हो गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।

भवदीय

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

संख्या 3361 /समदिनांक

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मै० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० को उनके पत्र
दिनांक- 03-02-25 के क्रम में प्रेषित।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जाँच आख्या

तहसील सदर जनपद मीरजापुर


क्र० सं०	ग्राम का नाम	वर्तमान आ० सं०	रकबा	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार		ए०आर०ओ० के अनुसार		1359फ० नवैयत	विशेष विवरण	राजस्व विभाग की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संयुक्त निष्कर्ष
					नया	पुराना	नया	पुराना					
1	सिन्धौरा	1000मि	5.263	पहाड़	-	-			पहाड़	वन भूमि गजट में विज्ञापित नहीं है	हाँ	हाँ	हाँ
2		1007	39.911	पहाड़	-	-			पहाड़	वन भूमि गजट में विज्ञापित नहीं है	हाँ	हाँ	हाँ

निष्कर्ष - उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना तथा आवेदक संस्था अल्ट्राटेक की ओर से डाला सीमेण्ट वर्क्स के यूनिट हेड श्री संजीव हीवारेकर द्वारा दिये गये पत्र संख्या यू०टी०सी०एल०/डी०एल०सी०डब्लू०/डी०एम०/2025/05 दिनांक 22.02.2025 के क्रम में जनपद मीरजापुर की तहसील सदर, मीरजापुर के कुल 02 गाटा कुल रकबा 45.174हे० वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त वर्णित भूमि की वनीकरण उपयुक्तता हेतु राजस्व अभिलेखों जाँच की गयी। जाँच में कुल 02 गाटा कुल रकबा 45.174हे० भूमि अभिलेखीय परिक्षण में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पायी गयी। वनीकरण की उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण के पश्चात निर्गत किया जायेगा।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
चुनार


उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर/चुनार


तहसीलदार
सदर


उपजिलाधिकारी
सदर

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works
Authorised Signatory

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।

N
31/03/2025
उप जिलाधिकारी
सदर, मीरजापुर।

31/3/25
प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर
वन प्रभाग, मीरजापुर।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works
Authorised Signatory

**वन क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जाँच आख्या
तहसील चुनार जनपद मीरजापुर**

क्र० सं०	ग्राम का नाम	वर्तमान आ० सं०	रकबा (हे०)	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार		ए०आर०ओ० के अनुसार		1359फ० नवैयत	विशेष विवरण	राजस्व विभाग की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संयुक्त निष्कर्ष
					नया	पुराना	नया	पुराना					
1	चक गम्भीरा	114मि०	127.502	पहाड़	चकबन्दी नहीं हुई है।		सर्वे नहीं हुआ है।		श्रेणी 15(4)	गाटा संख्या 114मि० के कुल रकबा 138.80 हे० का 114 मि० भाग रकबा 11.306 सोनवन खण्ड उत्तरी मीरजापुर/जो राज्य सरकार के वन विभाग के अन्तर्गत वन भूमि दर्ज है जिस पर वन विभाग वर्तमान में काबिज है।	हाँ	हाँ	हाँ

निष्कर्ष - उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना तथा आवेदक संस्था अल्ट्राटेक की ओर से डाला सीमेण्ट वर्क्स के यूनिट हेड श्री संजीव हीवारेकर द्वारा दिये गये पत्र संख्या यू०टी०सी०एल०/डी०एल०सी०डब्लू०/डी०एम०/2025/05 दिनांक 22.02.2025 के क्रम में जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार, मीरजापुर के कुल 01 गाटा कुल रकबा 127.502हे० वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त वर्णित भूमि की वनीकरण उपयुक्तता हेतु राजस्व अभिलेखों जाँच की गयी। जाँच में गाटा संख्या 114 मि० कुल रकबा 127.502हे० भूमि अभिलेखीय परिक्षण में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पायी गयी। वनीकरण की उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण के पश्चात् निर्गत किया जायेगा।


तहसीलदार
चुनार


क्षेत्रीय वन अधिकारी
चुनार


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
चुनार


उप जिलाधिकारी
चुनार



UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works
Authorised Signatory

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।


31/03/2025
उप जिल्हाधिकारी
चुनार, मीरजापुर।


31/3/25
प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर
वन प्रभाग, मीरजापुर।


Ultra Tech Cement Limited
Ultra Tech Cement Works
Authorised Signatory


वन क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जाँच आख्या

(मीरजापुर वन प्रभाग एवं कैभूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर)

तहसील लालगंज जनपद मीरजापुर

क्र० सं०	ग्राम का नाम	वर्तमान आ० सं०	रकबा(हे०)	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार		ए०आर०ओ० के अनुसार		1359फ० नवैयत	विशेष विवरण	राजस्व विभाग की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संयुक्त निष्कर्ष
					नया	पुराना	नया	पुराना					
1	महोखर	14ग	0.025	पथरीली			14ग	134मि०	पथरीली	प्रश्नगत गाटा वन भूमि के रूप में विज्ञापित नहीं है।	हाँ	हाँ	हाँ
		15ख	0.506*	पथरीली			15ख	134मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		16क	3.506*	पथरीली			16क	5मि०	नाला	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
								134मि०	पथरीली				
								135मि०	बंजर				
								160मि०	नाला				
								170मि०	पथरीली				
		17क	0.101	पथरीली			17क	170मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		19ख	0.126	पथरीली			19ख	170मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		45ग	0.025	पथरीली			45ग	169मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		48ख	0.19	पथरीली			48ख	169मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		50क	0.038	पथरीली			50क	102मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		71ख	0.190*	पथरीली			71ख	149मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		72घ	0.139	पथरीली			72घ	149मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		76क	6.000*	पथरीली			76क	2	बंजर	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
								3	बंजर				
								6	बंजर				
								7मि०	बंजर				
								8मि०	बंजर				
								9मि०	बंजर				
								12	बंजर				
								14	बंजर				
								15	बंजर				
								16	बंजर				
								99	बंजर				
								106	बंजर				
		87ख	0.025	पथरीली			87ख	102मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ

Ultra Tech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

		91ख	0.531	पथरीली		91ख	96मि०	भीटा	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
							97मि०	तालाब				
							98मि०	भीटा				
2	पौड़ी रामपुर	258घ	0.253	पथरीली		258घ	384मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
							389मि०	कास्त				
							408	कास्त				
		438घ	5.729	पथरीली		438घ	388/1मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		474ख	6.717	पथरीली		474ख	339	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
							357/1	पथरीली				
		477ड	1.999	पथरीली		477ड	422	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		500ख	1.417	पथरीली		500ख	437मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		501ख	0.19	पथरीली		501ख	437मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		482ख	0.836	पथरीली		482ख	438	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		477गमि०	0.62	पथरीली		477गमि०	416	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
							419	कास्त				
		473ख	0.278	पथरीली		473ख	342मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
							349मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार			
		442ख	0.076	पथरीली		442ख	369मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
3	वरहुला	85	7.735	पथरीली		85	83	पथरीली	प्रश्नगत गाटे की नवीयत बंजर झाड़ी में दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 11 दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
							84मि०	पथरीली				
							85	बंजर-झाड़ी				
							86/1	बंजर-झाड़ी				

UltraTech Cement Limited
Unit Dehra Dun Works

Authorised Signatory

	102क	4.962	पथरैल			102क	94मि०	कास्त	वन बंजर सूची उपलब्ध नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं
							96मि०	पथरीली				
	107च	0.645	नई परती			107च	107मि०	कास्त	वन बंजर सूची उपलब्ध नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं
							106मि०	कास्त				
	126क	0.341	बंजर			126क	111मि०	बंजर	वन बंजर सूची उपलब्ध नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं
	135च	6.007*	बंजर			135च	133	बंजर-झाड़ी	प्र नगल गाटे की नवैयत बंजर झाड़ी में दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 1 न दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
							110	बंजर-झाड़ी				
							111मि०	बंजर-झाड़ी				
							84मि०	पथरीली				
							132मि०	बंजर-झाड़ी				
	141	1.48	बंजर			141	144मि०	बंजर-झाड़ी	प्र नगल गाटे की नवैयत बंजर झाड़ी में दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 1 न दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
	143	0.304	बंजर			143	139मि०	बंजर-झाड़ी	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
	144	2.162	बंजर			144	150मि०	बंजर	वन बंजर सूची उपलब्ध नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं

Authorized Signatory

		145	0.278	बंजर		145	150मि०	बंजर-झाड़ी	प्र नगत गाटे की नवैयत बंजर झाड़ी मे दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 1न दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(०) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
		147	1.417	बंजर		147	154मि०	बंजर-झाड़ी	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
		148क	1.163	बंजर		148क	196मि०	बंजर-झाड़ी	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
		148ख	1.871	बंजर		148ख	155	पथरीली	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
							156मि०	बंजर-झाड़ी				
		148ग	1.77	बंजर		148ग	156मि०	बंजर-झाड़ी	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
		151क	0.544	बंजर		151क	149	बंजर-झाड़ी	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
							160	बंजर-झाड़ी				
							161	बंजर-झाड़ी				
							162	बंजर-झाड़ी				
							163	बंजर-झाड़ी				
							164	बंजर-झाड़ी				
							165	बंजर-झाड़ी				
							166	बंजर-झाड़ी				
		153मि०	3.542*	नई परती		153क	135	पथरीली	वन बंजर सूची उपलब्ध नहीं है।	हाँ	नहीं	नहीं
		153	4.339*	बंजर			136	पथरीली	153 ख का पुराना गाटा सं० धारा 20 के गजट में विज्ञापित है। जितका क्षेत्रफल 124.075हे० है। प्र नगत गाटे की नवैयत बंजर झाड़ी मे दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 1न दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(०) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
							137	बंजर-झाड़ी				
							138	पथरीली				
							139मि०	बंजर-झाड़ी				
							141	बंजर-झाड़ी				
							142	नाला				
							143	बंजर-झाड़ी				
							144मि०	बंजर-झाड़ी				
							200	बंजर-झाड़ी				
							201	बंजर-झाड़ी				

Ultra Tech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

							202	बंजर-झाड़ी				
							203	पथरीली				
							205	बंजर-झाड़ी				
							199मि0	बंजर-झाड़ी				
							152	नाला				
					153ख		204	बंजर-झाड़ी		नहीं	नहीं	नहीं
							207	नाला				
							208	बंजर-झाड़ी				
							209	बंजर-झाड़ी				
							210	पथरीली				
							211	बंजर-झाड़ी				
							212	बंजर-झाड़ी				
							213	बंजर-झाड़ी				
							214	बंजर-झाड़ी				
							215	बंजर-झाड़ी				
							216	बंजर-झाड़ी				
							217	बंजर-झाड़ी				
							218	बंजर-झाड़ी				
							219	बंजर-झाड़ी				
							220	बंजर-झाड़ी				
							221	बंजर-झाड़ी				
4	बडोहा	623क	6.930*	पथरीली		623क	213	कास्त	प्रश्नगत गाटा वन भूमि के रूप में विज्ञापित नहीं हैं।	हाँ	हाँ	हाँ
		649घ	4.000*	पथरीली		649घ	146	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		651	22.302*	पहरी		651	174	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
		561ङ	15.224*	पहरी		561ङ	414	कास्त	उपरोक्तानुसार	हाँ	हाँ	हाँ
5	मतवार	54ख	0.051	जंगलझाड़ी		54ख	133मि0	नाला	प्र नगत गाटे की नवेयत जंगलझाड़ी मे दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 1न दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं

Uttam Cement Limited
Unit, Ball - Cement Works

Authorized Signatory

	54गमि०	1.187*	जंगलझाड़ी		54गमि०	49/2मि०	बंजर	प्र नगत गाटे की नवयत जंगलझाड़ी मे दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 11 दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है। 54मि० रकबा 0.013 हे० बी०टी०एस० टावर य 54मि० रकबा 0.040हे० पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नाम आरक्षित किया गया।	नहीं	नहीं	नहीं
						94	बंजर				
						96	बंजर				
	56ख	0.708	जंगलझाड़ी		56ख	158	बंजर	प्र नगत गाटे की नवयत जंगलझाड़ी मे दर्ज है अतः वन संरक्षण संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिके 11 दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
						166मि०	बंजर				
						169मि०	बंजर				
						170मि०	बंजर				
	59ख	3.49	जंगलझाड़ी		59ख	180	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						185	बंजर				
						317	बंजर				
						322	बंजर				
						324	बंजर				
						316	बंजर				
						186	बंजर				
						319मि०	बंजर				
	59ङ	3.971	जंगलझाड़ी		59ङ	272	कारस्त	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं

						310मि०	कास्त				
						177	बंजर				
						178	बंजर				
						179	बंजर				
						314	बंजर				
	61ख	2.845	जंगलझाड़ी		61ख	208	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						222	बंजर				
						297	बंजर				
	65ख	12.633	जंगलझाड़ी		65ख	829	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						831	बंजर				
						836	बंजर				
						840	बंजर				
						843	बंजर				
						841	बंजर				
						846	बंजर				
						844	बंजर				
						837	बंजर				
						839	बंजर				
						838	बंजर				
						946	बंजर				
	69ख	1.328	जंगलझाड़ी		69ख	977	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						976	बंजर				
	488ख	5.919	जंगलझाड़ी		488ख	1212मि०	नाला	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						1184	बंजर				
						1208	बंजर				
						1211	बंजर				
						1213	बंजर				
						1217	बंजर				
						1220	बंजर				
						1221	बंजर				
						1223	बंजर				
	499ख	2.276	जंगलझाड़ी		499ख	1312मि०	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
	506घ	1.934	जंगलझाड़ी		506घ	1147/2	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						114/2मि०	बंजर				
						1102/2	कास्त				
	781ख	1.252	जंगलझाड़ी		781ख	2633	बंजर	उपरोक्तानुसार	नहीं	नहीं	नहीं
						2636	बंजर				
						2637	बंजर				

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

6	परसिया मुड़पेती	2क	2.000*	पथरीली			2क	60मि०	पथरीली	प्रश्नगत गाटा यन भूमि के रूप में दिखायित नहीं है।	हां	हां	हां					
								61मि०	बंजर									
								62मि०	पथरीली									
								63मि०	बंजर									
								4छ	8.000*		पथरीली	4छ	65मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार	हां	हां	हां
								67मि०	कास्त									
								82मि०	कास्त									
								86मि०	कास्त									
								73	कास्त									
								75	कास्त									
								77	कास्त									
								80	कास्त									
								686घ	22.600*		पथरीली	686घ	514मि०	पथरीली	उपरोक्तानुसार	हां	हां	हां
								517मि०	पथरीली									
								77मि०	कास्त									
								502मि०	पथरीली									
								518	पथरीली									
								506	पथरीली									
								504	पथरीली									
								510	पथरीली									
								512	पथरीली									
								435मि०	नाला									
								500मि०	बंजर									
								508	बंजर									
								995ख	2.000*		पथरीली	995ख	474मि०	कास्त	उपरोक्तानुसार	हां	हां	हां
								487	कास्त									
													490मि०	बंजर	उपरोक्तानुसार			
998च	5.000*	पथरीली	998च	458	पथरीली	हां	हां	हां										
				460	पथरीली													
				462मि	पथरीली													
				465	पथरीली													
				468	पथरीली													
				470मि	पथरीली													
				472	पथरीली													
				474	पथरीली													
				477	पथरीली													
				479	पथरीली													

UltraTech Cement Limited
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory

							463	पथरीली					
							473मि	पथरीली					
7	पुराकाशीनाथ	मि0235	18.046	पहाड	235क	335/1	375क	627	बंजर	नई परती	नही	नही	नहीं
								626	रास्ता				
								625	झाड़ी	प्रश्नगत गाटे में 1359 फसली की नदीयत का अंश भाग झाड़ी के रूप में दर्ज हैं। जो कि वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त			
					235ख	335/2	375ख	624मि0	कास्त	दुर्गेश्वर वर्ग0			
					235ग	335/3	375ग	556मि0	कास्त	पहाड			
8	मानिकपुर	3छ	9.131	पहाड	3छ	161/23मि0	161क	82	बंजर		हाँ	हाँ	हाँ
								65मि0	नाला				
								129	कास्त				
							161ख	70	बंजर				
								77	बंजर				
								2/755	कास्त				
							161ग	2	बंजर				
								91मि0	बंजर				
							161घ	64मि0	बंजर				
								66	कास्त				
							161ङ	76/1मि0	कास्त				
								74	कास्त				
								73	कास्त				
								71/1	कास्त				
								69/1	कास्त				
							161च	81	कास्त				
								83	कास्त				
								80	कास्त				
								120मि0	कास्त				
								72	कास्त				
							161छ	84	कास्त				
								86मि0	कास्त				
								92मि0	कास्त				
								72	कास्त				
							161ज	85	कास्त				

UltraTech Cement Limited
Unit: Datta Cement Works


Authorised Signatory

								79	कास्त				
								78	कास्त				
								76/3	कास्त				
							161झ	121मि०	बंजर				
								122मि०	बंजर				
								75	बंजर				
							161ञ	126	बंजर				
							161ट	71/2	कास्त				
							161ठ	68	कास्त				
								69/2	कास्त				
							161ड	5/1मि०	कास्त				
							161ढ	76/2मि०	बंजर				
							161ण	76/2मि०	बंजर				
							161त	62	कास्त				
								63	कास्त				
								67	कास्त				
9	नौदर	1क	17.769*	पहाड़	1क	1/1मि०	1/1मि०	1	झाड़ी	प्रश्नगत गाटे में 1368 फसली की नवैयत झाड़ी के रूप में दर्ज हैं। जो कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2030 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं हैं।	नहीं	नहीं	नहीं
10	उरुआ	64ष	3.718	पहाड़	64ष	81/11मि०	81क	177	झाड़ी	प्रश्नगत गाटे में 1368 फसली की नवैयत झाड़ी के रूप में दर्ज हैं। जो कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2030 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं हैं।	नहीं	नहीं	नहीं
		65	1.372	पहाड़	65	81/12मि०		178	कास्त		हां	हां	हां
		78य	25.378*	पहाड़	78य	81/26मि०		183	कास्त		हां	हां	हां
								184	कास्त				
								199	कास्त				
								200	कास्त				
								201	कास्त				

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works


Authorised Signatory


निष्कर्ष - उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना तथा आवेदक संस्था अल्ट्राटेक की ओर से डाला सीमेण्ट वर्क्स के यूनिट हेड श्री संजीव हीवारेकर द्वारा दिये गये पत्र संख्या यू0टी0सी0एल0/डी0एल0सी0डब्लू0/डी0एम0/2025/05 दिनांक 22.02.2025 के क्रम में जनपद मीरजापुर की तहसील लालगंज के कुल 66 गाटा कुल रकबा 267.246 हे० वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त वर्णित भूमि की उपयुक्तता हेतु राजस्व अभिलेखों की जाँच की गयी। जाँच में कुल 31 गाटा कुल रकबा 115.687 हे० भूमि अयोग्य पायी गयी तथा कुल 35 गाटा कुल रकबा 151.559 हे० भूमि अभिलेखीय परिक्षण में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पायी गयी। वनीकरण की उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण के पश्चात निर्गत किया जायेगा।


तहसीलदार
लालगंज



ए० एन० मिश्रा


क्षेत्रीय वन अधिकारी
पटेहरा


क्षेत्रीय वन अधिकारी
लालगंज


वन्य जीव प्रतिपालक, चुर्क
कैमूर वन्य जीव विहार

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हलिया रेंज, कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर


उप-प्रभागीय
वनाधिकारी, मीरजापुर



उप जिलाधिकारी
लालगंज


Ultra Tech Cement Limited
Ultra Tech Cement Limited
Authorized Signatory

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।


उप जिलाधिकारी
लालगंज, मीरजापुर।
उप जिलाधिकारी, लालगंज
मीरजापुर


प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर
वन प्रभाग, मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

Ujjain Cement Limited
Ujjain, Madhya Pradesh

Authorized Signatory

वन क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जाँच आख्या
तहसील मझिहान जनपद मीरजापुर

क्र० सं०	ग्राम का नाम	वर्तमान आ० सं०	रकबा(है०)	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार		ए०आर०ओ के अनुसार		1359फ० नवैयत	विशेष विवरण	राजस्व दिगम की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संगुक्त निष्कर्ष
					नया	पुराना	नया	पुराना					
1	रैकरा	699घ०मि०	3.684	झाड़ी	-	-	699घ०मि०	699घ०मि०	जंगल	प्रश्नगत गाटे में 1359 फसली की नवैयत में जंगल एवं चरान्न नवैयत में झाड़ी के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
		101उ०मि०	2.126	बंजर	-	-	101उ०मि०	198	वन दीगर	प्रश्नगत गाटे में 1359 फसली की नवैयत का अंश भाग वन दीगर के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
					-	-		201मि०	बंजर दीगर				
					-	-		202मि०	बंजर दीगर				
					-	-		203मि०	बंजर दीगर				
					-	-		280	बंजर दीगर				
					-	-		283	बंजर दीगर				
					-	-		284मि०	बंजर दीगर				
					-	-		278	बंजर दीगर				
					-	-		285	बंजर दीगर				
					-	-		349मि०	बंजर दीगर				
					-	-		473मि०	बंजर दीगर				
					-	-		480	बंजर दीगर	पुराना गाटा संख्या 480 धारा 20 के गजट में विज्ञापित है जिसका क्षेत्रफल 1 बीघा 11 बिस्वा 16 दिरवांरी है।			
					-	-		481मि०	बंजर दीगर	पुराना गाटा संख्या 481 धारा 20 के गजट में विज्ञापित है जिसका क्षेत्रफल 6 बीघा 11 दिरवा है।			
		108घ०मि०	4.236	बंजर	-	-	108घ०मि०	यह भारतीय नो ए.आर.ओ. में मौजूद नहीं है		प्रश्नगत गाटा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के गाटा 108 कुल रकबा एवं धारा 20 के गजट में 108 भाग रकबा के रूप में विज्ञापित है।	नहीं	नहीं	नहीं
		241क	0.460	बंजर	-	-	241क	669	वन दीगर	प्रश्नगत गाटे में 1359 फसली की नवैयत का अंश भाग वन दीगर के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(3) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
					-	-		681	बंजर दीगर				


Signature

		276इ.मि०	0.400	बजर			276इ.मि०	753	वन दीगर	प्रसंगत गाट में 1359 कवाली की नदीयत का अरु वग वन दीगर के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एव रक्षण नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(1) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
								756	बजर दीगर				
		304ख	2.800	बजर			304ख	768	वन दीगर	प्रसंगत गाट में 1359 कवाली की नदीयत का अरु वग वन दीगर के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एव रक्षण नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(1) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं
								769	बजर दीगर				
		395क	0.250	बजर			395क	993मि०	वन दीगर	प्रसंगत गाट में 1359 कवाली की नदीयत का अरु वग वन दीगर के रूप में दर्ज है। जो कि वन संरक्षण एव रक्षण नियम 2023 के नोटिफिकेशन दिनांक 29 नवम्बर 2023 के नियम 13(1) के अनुसार उपयुक्त नहीं है।	नहीं	नहीं	नहीं

निष्कर्ष - उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 लखनऊ दिनांक 03 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना तथा आनंदक सरथा अल्हादक की ओर से आला सीनेगट वर्क्स के यूनिट हेड श्री संजीव हीवारेकर द्वारा दिये गये पत्र संख्या यूटी०सी०एल०/डी०एल०सी०डब्ल्यू/डी०एल०/2025/05 दिनांक 22.02.2025 के क्रम में जनपद मीरजापुर की तहसील मडिहान, मीरजापुर के कुल 16 गाटा कुल रकबा 30.382 हे० वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रण पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान की गयी। उपरोक्त वर्गीत भूमि की वनीकरण उपयुक्तता हेतु राजस्व अभिलेखों जाँच की गयी। जाँच में कुल 07 गाटा कुल रकबा 13.968 हे० भूमि वनीकरण हेतु अयोग्य पायी गयी तथा कुल 9 गाटा कुल रकबा 16.414 हे० भूमि अभिलेखीय परिक्षण में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पायी गयी। वनीकरण की उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण के पर्याप्त निमित्त किया जायेगा।


तहसीलदार
मडिहान


क्षेत्रीय वन अधिकारी
पटहसा


उप प्रमोचय प्रमाणिकारी,
मुनार


उप जिलाधिकारी
मडिहान

UltraTech Cement Limited
Unit: Dulla Cement Works

Authorised Signatory

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।



उप जिलाधिकारी
मड़िहान, मीरजापुर।

उप जिलाधिकारी
मड़िहान, मीरजापुर



प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर
वन प्रभाग, मीरजापुर।

UltraTech Cement Limited
Unit: Dulla Cement Works

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 578 /एक-1-2020-24(1)/2018

लखनऊ: दिनांक: 11 जून, 2020

अधिसूचना

(सशोधन)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-31.10.2019 द्वारा जनपद मीरजापुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रबंधन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण करते हुए मै० जे०पी० ऐसोसिएट्स लि० द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वर्तन पर रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी। सम्प्रति मै० जे०पी० ऐसोसिएट्स लि० द्वारा उक्त सीमेंट फैक्ट्री दिनांक 29.06.2017 को मै० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० को विक्रय कर दी गयी है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक 31.10.2019 में जहाँ-जहाँ मै० जे०पी० ऐसोसिएट्स लि० अंकित है, के स्थान पर मै० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० का नाम अंकित किए जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

तदनुसार अधिसूचना संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-31.10.2019 संशोधित समझी जाये। उक्त अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

(रणका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मण्डलायुक्त विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग्र०पत्रा०-49/2019 दिनांक-26/06/2019 के आलोक में।
- 7- मै० जे०पी० ऐसोसिएट्स लि० विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
- 8- प्रवन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि० अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केव्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 गुदित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराएं।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)

अनु सचिव

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- २२२३ /एक-1-2019-24(1)/2018

तखनऊ: दिनांक: २२ अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या आ0मु0रा0 339/एक-1-2018-24(1)/2018 दिनांक-10/05/2018 तथा अधिसूचना संख्या-300/एक-1-2019-24(1)/2018 दिनांक-08/03/2019 को निरस्त करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित की गयी थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए अनुसूची के पश्चात् उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन में 0जे0पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा जनपद सोनभद्र में अस्थायी रूप से प्रस्तावित प्रयोग के लिए वांछित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रण पर रखने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

अनुसूची

जनपद- गोरखपुर

क्र0 सं0	नाम तहसील	नाम ग्राम	भूमि की श्रेणी	नाम स्वामिदार	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0गे)
1	2	3	4	5	6	7
1	सदर	सिन्धौरा	6-4	पहाड़	1000	5.263
2					1007	39.911
			योग:-		2 गाटा	45.174
3	चुनार	नकमभीरा	6-4	पहाड़	114 जि0	127.502
			योग:-		1 गाटा	127.502
4		रैकरा	5-3-ब	झाड़ी	699चमि	3.694
5			5-3-द	वज्र	95 जि0	0.379
6					96ब	0.550
7	गडिहान				1014जि0	2.126
8					108यामि0	4.238
9					148ग/4	0.430
10					206	1.400

-2-

Ultra Tech Corporation
Unit: Datta Concrex Works

Authorised Signatory

11				223मि०	0.645
12				241क	0.460
13				2783मि०	0.400
14				289	0.300
15				304ख	2.800
16				395क	0.250
17		5-1	नई परती	108उ	11.690
18				110चमि	0.380
19				302ख	0.640
		योग:-		16 गाटा	30.382
20	मलवार	5-3-ख	जंगल झाडी	54ख	0.051
21				54गमि०	1.187
22				56कमि०	0.708
23				59ख	3.400
24				59इ	3.971
25				61ख	2.845
26				65म	12.633
27				69ख	1.328
28				488ख	5.919
29				499ख	2.276
30				506म	1.934
31				781ख	1.252
		योग:-		12 गाटा	37.594
32	नौदर	6-4	पहाड	1कमि०	17.769
		योग:-		1 गाटा	17.769
33	पुरा कशीनाथ	6-4	पहाड	235मि०	16.046
		योग:-		1 गाटा	16.046
34	5रु.मा	6-4	पहाड	64ख	3.718
35				65	1.372
36				78ग	25.378

Ultra-Tech Cement
Units: Datta Central Works

Authorised Signatory

		योग:-	3 गाटा	30.468
37	मानिकपुर	6-4 रानीवारीपहाड	3ख	9.131
		योग:-	1 गाटा	9.131
38	वडाहा	6-4 पथरी	623क	6.930
39			649घ	4.000
40		6-4 पथरी	651	22.307
41			561ड	15.224
		योग:-	4 गाटा	48.461
42	पारसिगा मुहपेली	6-4 पथरीली	2क	2.000
43			4ख	8.000
44			686घ	22.600
45			995घ	2.000
46			998घ	5.000
		योग:-	5 गाटा	39.600
47	गहोखर	6-4 पथरीली	14ग	0.025
48			15ख	0.506
49			16क	3.506
50			17क	0.101
51			19ख	0.126
52			45ग	0.025
53			48ख	0.190
54			50क	0.038
55			71ख	0.190
56			72घ	0.139
57			76क	6.000
58			87ख	0.025
59			91ग	0.531
		योग:-	13 गाटा	11.402
60	पाँडी रामपुर	6-4 पथरीली	258घ	0.253
61			438घ	5.729

62				474घ	6.717
63				477घ	1.999
64				500घ	1.417
65				501घ	0.190
66				482घ	0.936
67				477गजि	0.620
68				473घ	0.278
69				442घ	0.076
	योग:-			10 गाटा	18.215
70	बरहली	5-3-5	बंजर	126क	0.341
1				135घ	6.007
72				141	1.480
73				143	0.304
74				144	2.162
75				145	0.278
76				147	1.417
77				148क	1.163
78				148घ	1.871
79				148ग	1.770
80				151कजि	0.544
81				153	4.339
82		5-1	बंद परती	153गि0	3.542
83				107ग	0.645
84		6-4	पथरील	85	7.735
85				102क	4.962
	योग:-			16 गाटा	38.560
	सम्पूर्ण योग:-			85 गाटा	470.304

(1) मा0 राष्ट्रीय हरित व्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दि0-04/05/2016 के अनुपालन व प्रदेश में औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सभा भूमियों का पुनर्ग्रहण अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है। ग्राम सिन्धोरा तहसील-सदर, ग्राम वकागर्भीरा तहसील-चुनार, ग्राम रेकरा तहसील-मडिसान तथा ग्राम मतवार, जौंदर, पुरा काशीनाथ,

Ultra Tech Cement Limited
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory

उरुआ, मानिकपुर, बड़ीहा, परसिया मुड़पेली, महोखर, पौड़ी रागपुर, बरहुला तहसील-तालगंज जनपद-मीरजापुर की कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० ग्राम सभा भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि उक्त भूमि में 0 जे०पी० एसोसिएट्स लि० को अंतरण किये जाने के साथ-साथ एक ही संव्यवहार में भूमि वन विभाग को अंतरित कर दी जायेगी। उक्त अनुक्रम हेतु कलेक्टर द्वारा एक त्रिपक्षीय अनुबंध निस्पादित कराया जायेगा।

(2)- कलेक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि का उपयोग केवल वनीकरण हेतु किया जायेगा। भूमि के अन्यथा उपयोग की दशा में पुनर्ग्रहण व अंतरण शून्य होगा।

(3)- उक्त भूमि वन विभाग 30प्र० शासन के निवर्तन पर रखते हुए वनीकरण हेतु दी जा रही है उक्त भूमि का मूल्य एवं उस पर दस वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण व्यय में 0 जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा जमा/वहन किया जायेगा। शासनादेश सं०-744/एक-1-2016-20 (5)/2016 दि०-03.06.2016 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में 0 जे०पी० एसोसिएट्स लि० द्वारा लेखाशीर्षक "0029 भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(4)- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 तथा राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक-03.06.2016 के आलोक में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित कुल 85 गाटा कुल रकबा 470.304 हे० भूमि का पुनर्ग्रहण वनीकरण हेतु विभाग, उत्तर प्रदेश शासन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

(5)- कलेक्टर द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा संबंधित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा कराया जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार-पत्रों, जिसमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, 30प्र० शासन, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(5)- कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016 दिनांक- 03/06/2016 में

दिये गये दिशा-निर्देशों तथा उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(रणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, भू-तत्व खनिकर्म, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मण्डलायुक्त विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
- 6- जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-349/जी०भू०व्यव०लि०/पुनर्ग०पत्रा०-49/2019 दिनांक-26/06/2019 के आलोक में।
- 7- मै० जे०पी० एसोसिएट्स लि० विष्णु सदन, 5 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001
- 8- प्रबन्ध निदेशक, अल्ट्राटेक सीमेंट लि० अहूरा सेन्टर, बी-विंग, 2 फ्लोर, महाकाली केव्स, अंधेरी (ईस्ट) मुंबई-400093
- 9- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां राजस्व अनुभाग-1 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराएं।
- 10- गाडे फाइल।

30.10.19

आज्ञा से,

(आर० वी० सिंह)

संयुक्त सचिव



प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है की क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवादित रूप से गैर वन भूमि है, एवं इसका शासनादेश संख्या VIP- 23/14-2-2019-190 जी /2018 , दिनांक 28 जून 2019 के प्रस्तर -2 में वर्णित बिन्दुओके अनुसार परीक्षण कर लिया गया है ।

उपजिलाधिकारी
मानिकपुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट

प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट
उप प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट
RS प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

UltraTech Cement Limited
Unit: Dulla Cement Works

Authorised Signatory

1879/ST-SDMC mbp

क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जांच आख्या
तहशील मानिकपुर, जनपद चित्रकूट

क्रमांक	ग्राम	वर्तमान आ. सं.	क्रमांक	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार		ए.आर.ओ के अनुसार		1359 फ. नवैयत	विशेष विवरण	राजस्व विभाग की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संयुक्त निष्कर्ष
					नया	पुराना	नया	पुराना					
1	चेरुआ - केसरुआ	1689	17.10	पड़ती	-	-	-	-	पड़ती	वन भूमि गजट में विज्ञापित नहीं है	हां	हां	हां
		1690	0.57		-	-	-	-					
		1691	2.19		-	-	-	-					
		1692	0.86		-	-	-	-					
		1693	2.02		-	-	-	-					
		1694	0.86		-	-	-	-					
		1695	0.32		-	-	-	-					
		1696	0.84		-	-	-	-					
		1697	2.34		-	-	-	-					
		1698	4.84		-	-	-	-					


निष्कर्ष :- उत्तरप्रदेश शासन राजस्व अनुभाग -1 संख्या -1773/एक -1-2019-24(1)/2018 लखनउ दिनांक 31 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी अधिसूचना ततः आवेदक संख्या अल्ट्राटेक के ओर से डाला सीमेंट वर्क्स के यूनिट हेड द्वारा दिया गए पत्र संख्या UTCL/DLCW/DM/2025/6 दिनांक 03/09/2025 के क्रम में जनपद चित्रकूट, तहशील - मानिकपुर ग्राम चेरुआ केसरुआ में कुल 10 गाटा कुल रकवा 31.94 हेक्ट. वांछितवन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्वतन पर रखने की सर्ष अनुमति प्रदान की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि की वनीकरण उपुक्ताता हेतु राजस्व अभिलेखो की जाच की गई। जाँच के कुल कुल 10 गाटा कुल रकवा 31.94 हेक्ट. भूमि अभिलेखीय परिक्षण में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पाई गई। वनीकरण की उपयोगिता प्रमाणपत्र पूर्व में जारी किया जा चुका है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
मानिकपुर


उपप्रभागीय वनाधिकारी
उप. प्रभागीय वनाधिकारी
चित्रकूट


तहशीलदार
मानिकपुर


उपजिलाधिकारी
मानिकपुर

UltraTech Cement Limited
Unit: Dawa Cement Works

Authorised Signatory

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि निर्विवादित रूप से गैर वन भूमि है, एवं इसका शासनादेश संख्या V.I.P.-23/14-2-2019-190जी/2018Date-28जून, 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।


उप जिलाधिकारी,
मानिकपुर।


उप प्रगाणीय वनाधिकारी
चित्रकूट


सहायी वनाधिकारी, सीनापुरी टाइगर रिजर्व/
उप प्रगाणीय वनाधिकारी, चित्रकूट

Unit: Data Control Unit

Authorised Signatory

क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि की जांच आख्या
तहसील-मानिकपुर, जनपद-चित्रकूट।


क्र.	ग्राम	वर्तमान आ.सं.	रकवा हे.में.	वर्तमान नवैयत	41/45 के अनुसार	ए.आर. ओ. के अनुसार	1359फ. नवैयत	राजस्व विभाग की संस्तुति	वन विभाग की संस्तुति	संयुक्त निष्कर्ष
1	कुसमी	117	24.955	कृषि	-	-	बंजर	हां		
2		118	0.280	नाला	-	-	नाला			
3		119	19.810	बंजर	-	-	बंजर			
4		120	0.805	बंजर	-	-	बंजर			
5		121	0.936	बंजर	-	-	बंजर			
6		122	0.236	बंजर	-	-	बंजर			
7		123	0.390	बंजर	-	-	बंजर			
8		124	0.700	बंजर	-	-	बंजर			
9		125	0.901	बंजर	-	-	कदीम			
10		126	0.928	बंजर	-	-	कदीम			
11		127	1.601	बंजर	-	-	बंजर			
12		128	0.035	बंजर	-	-	बंजर			
13		129	0.971	बंजर	-	-	बंजर			
14		130	1.391	तालाब	-	-	तालाब			
15		131	1.103	भीटा	-	-	भीटा			
16		132	25.505	कृषि	-	-	बंजर			

निष्कर्ष :- उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग-1 संख्या-1773/एक-1-2019-24(1)/2018, लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 द्वारा जारी अधिसूचना ततः आवेदक संख्या अल्ट्राटेक के ओर से डाला सीमेंट वर्क्स के यूनिट हेड द्वारा दिये गए पत्र संख्या UTCL/DLCW/DM/2025/75 दिनांक 25.08.2025 के क्रम में जनपद-चित्रकूट, तहसील-मानिकपुर ग्राम कुसमी में कुल 16 गाटा कुल रकवा 40.254 हे. वांछित वन भूमि के समस्त अन्य गैर वन भूमि को वनीकरण हेतु वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की राई अनुमति प्रदान की गई। उपरोक्त वर्णित भूमि की वनीकरण उपयुक्तता हेतु राजस्व अभिलेखों की जांच की गई। जांच के दौरान गाटा सं. 117 लगायत 132 श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, जो अभिलेखीय परिणाम में V.I.P. शासनादेश के क्रम में योग्य पायी गयी।

1891/ST-SDM(MKP)


क्षेत्रीय वनाधिकारी,
मारकुण्डी-।
16.09.25


उपप्रमाणीय वनाधिकारी,
चित्रकूट।
16.09.25


तहसील
मानिकपुर।
16.09.25


उप जिलाधिकारी,
मानिकपुर।

सद्योप. कार्यालय अधिनियम गरीबों को दिवस 15 जनवरी 1977 को
 कार्यालय निरस्त है परन्तु 3311 द्वारा विभागीय मध्याह्निक
 में कार्यालय परन्तु 1977 में 01-09-2025 को
 में अन्तर्गत कीमेन्ट सिमेंट, जल, सोन, डाय, कोयला वगैरे
 प्रभाग में खर्च 344.688 है। अन्तर्गत वगैरे में खर्च
 की गई है। अन्तर्गत में प्रस्ताव में शक्ति
 की गई - वगैरे की गई है। शासन के वी. आर. पी.
 की - VIP - 23/14-02-2019 - 190 जी। 2018, दिनांक 28-06-2019
 को इस में उपरोक्त प्रमाण पत्र पर जारी की गई है।

सद्योप उक्त के अन्तर्गत खर्च है कि अन्तर्गत में
 अन्तर्गत खर्च की गई है - 117 अन्तर्गत 132 अन्तर्गत
 1359 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत 117 अन्तर्गत 132 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत


सद्योप,

12-09-2025
 रामकिशोर सिंह
 लेखपाल क्षेत्र-शुभम

लेखपाल कार्यालय सुन्दरियाहट त्रिवेणी

गुरु चरण पाण्डेय
 राजस्व निरीक्षक
 क्षेत्र-शुभम
 दिनांक-12-09-25

सद्योप, राठ सिंह की आख्या आवश्यक
 कार्यालय है।


 Ramkishor

Unit Cell

Authorised Signatory

क्र.सं.	वनाचे नाव	संज्ञा संख्या	क्षेत्र	वर्गीकरण (वर्ग चौ.मी.)	पा/पु	श.आ. सं. संख्या	1359 नुसार वर्गीकरण	वर्गीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुखी	117	24.155	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
2	सुखी	118	0.280	गावा	-	-	गावा	संरक्षणीय
3	"	119	19.810	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
4	"	120	0.805	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
5	"	121	0.963	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
6	"	122	0.263	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
7	"	123	0.350	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
8	"	124	0.700	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
9	"	125	0.901	वृक्ष	-	-	वृक्ष-1	संरक्षणीय
10	"	126	0.928	वृक्ष	-	-	वृक्ष-1	संरक्षणीय
11	"	127	1.601	वृक्ष	-	-	वृक्ष-1	संरक्षणीय
12	"	128	0.035	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
13	"	129	0.971	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
14	"	130	1.391	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
15	"	131	1.103	वृक्ष	-	-	वृक्ष	संरक्षणीय
16	"	132	25.505	वृक्ष	-	-	वृक्ष-1	संरक्षणीय

12-09-2025
 रामकिशोर सिंह
 लेखपाल क्षेत्र-...

गुरु चरण पाण्डेय
 राजस्व निरीक्षक
 क्षेत्र-...
 दिनांक-72-89-25

UltraTech Cement
 Unit: Datta Cement
 Authorised Signatory

2/61

कार्यालय उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

पत्रांक : / 33-1 / दिनांक, चित्रकूट, अगस्त, 29, 2025

उप जिलाधिकारी,
मानिकपुर, चित्रकूट।

विषय : अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में रकबा 344.688 हे० आरक्षित वन भूमि में खनन की अनुमति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील-मानिकपुर के ग्राम-कुसमी में उपलब्ध करायी जा रही 40.254 हे० गैर वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० का पत्रांक-UTCL/DLCW/DM/2025/75, दिनांक 25.08.2025 एवं उ०प्र० शासन के वी०आई०पी० शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी/2018, दिनांक 28.06.2019

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जिला-चित्रकूट, तहसील-मानिकपुर के ग्राम-कुसमी में 40.254 हे० गैर वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

अतः उक्त गैर वन भूमि का उत्तर प्रदेश शासन के वी०आई०पी० शासनादेश संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के अनुसार उपयुक्त होने सम्बन्धित प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

2/10

AI

श्री० निदेशक/उप निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी/चित्रकूट

(प्रत्युष कुमार कटियार)

(आई०एफ०एस०)

उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

SDM-MKP

20-9-25

कृते-जिलाधिकारी चित्रकूट

Tehsildar-MKP

कृपया निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराएँ।

SDM-MKP
03-09-25

- प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : उप प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी, चित्रकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : क्षेत्रीय वनाधिकारी, मारकुण्डी-1 रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, डाला सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप निदेशक चित्रकूट
आक प्राप्ति 20 अगस्त 2025
आक 1560(17) दिनांक
आक 01-5-2025

(प्रत्युष कुमार कटियार)

उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

(आई०एफ०एस०)

UltraTech Cement Ltd.
Unit: Datta Cement Works

Authorised Signatory

कार्यालय उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी-चित्रकूट

पत्रांक : 330

/ 33-1 /

दिनांक, चित्रकूट, जुलाई, 30, 2025

अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड,
डाला, सोनभद्र, उ०प्र०।

विषय : अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में रकबा 344.688हे० आरक्षित वन भूमि में खनन की अनुमति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिला-चित्रकूट, तहसील-मानिकपुर के ग्राम-चुरेहकेशरूआ में उपलब्ध करायी जा रही 38.823हे० गैर वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में

सन्दर्भ : आपका पत्रांक-UTCL/DLCW/FC/25/2025, दिनांक 23.07.2025

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा विषयगत प्रकरण में जनपद-चित्रकूट तहसील-मानिकपुर के ग्राम-चुरेहकेशरूआ में 38.823हे० गैर वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर उपयुक्तता की जाँच कर आख्या देने का अनुरोध किया गया था।

अतः उक्त के क्रम में उपरोक्त स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय वनाधिकारी, मानिकपुर-1 रेंज द्वारा किया गया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी, मानिकपुर-1 रेंज ने अपने कार्यालय पत्रांक-10/33-1, दिनांक 25.07.2025 द्वारा जाँच आख्या प्रेषित की गयी, जो निम्नवत् है :-

“विषयगत प्रकरण में ग्राम-चुरेहकेशरूआ के खसरा नं० क्रमशः 1689 से 1698 में उल्लिखित 38.823हे० गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।”

अतः क्षेत्रीय वनाधिकारी, मानिकपुर-1 रेंज की जाँच आख्या एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी, चित्रकूट का पत्रांक-32/33-1, दिनांक 29.07.2025 की संस्तुति के आधार पर उपरोक्तानुसार चयनित स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


(प्रत्युष कुमार कटियार)

उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

संख्या : 330 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. फील्ड डायरेक्टर महोदय, रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी-चित्रकूट।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी, मानिकपुर-1 रेंज।


(प्रत्युष कुमार कटियार)

उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

कार्यालय उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी-चित्रकूट

पत्रांक : 05 / 33-1 / दिनांक, चित्रकूट, जुलाई, 01, 2025

अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड,
डाला, सोनभद्र, उ०प्र०।

विषय : अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में रकबा 344.688हे० आरक्षित वन भूमि में खनन की अनुमति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील-मानिकपुर के ग्राम-कुसमी में उपलब्ध करायी जा रही 40.254हे० गैर वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक-UTCL/DLCW/FC/25/2025, दिनांक 20.06.2025

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा विषयगत प्रकरण में जनपद-चित्रकूट के ग्राम-कुसमी, तहसील-मानिकपुर में 40.254हे० गैर वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर उपयुक्तता की जाँच कर आख्या देने का अनुरोध किया गया था।

अतः उक्त के क्रम में उपरोक्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण क्षेत्रीय वनाधिकारी, मारकुण्डी-1 रेंज एवं अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड डाला, सोनभद्र, उ०प्र० के प्रतिनिधि के साथ किया गया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी, मारकुण्डी-1 रेंज ने अपने पत्रांक-136/33-1, दिनांक 25.06.2025 द्वारा जाँच आख्या प्रेषित की गयी, जो निम्नवत् है :-

“विषयगत प्रकरण में ग्राम-कुसमी के खसरा नं० 117 से 132 में उल्लिखित 40.254हे० गैर वन भूमि आवेदक से प्राप्त अक्षांश, देशान्तर के अनुसार एक कम्पैक्ट एरिया में उपलब्ध करायी जाये तो यह गैर वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।”

अतः क्षेत्रीय वनाधिकारी, मारकुण्डी-1 रेंज की जाँच आख्या एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी-चित्रकूट का पत्रांक-431/33-1, दिनांक 30.06.2025 की संस्तुति के आधार पर उपरोक्तानुसार चयनित स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

(प्रत्युष कुमार कटियार)

उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

संख्या : अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. फील्ड डायरेक्टर, रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी, कर्वी-चित्रकूट।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी, मारकुण्डी-1 रेंज।

(प्रत्युष कुमार कटियार)

उप निदेशक, रानीपुर टाइगर रिजर्व/
प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक- 344 / कैमूर/33-1, दिनांक, मीरजापुर, अप्रैल, 09 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा।

विषय:- गे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 के अन्तर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि का VIP शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के अनुसार परीक्षण एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के सम्वन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-1606/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक 31-01-2025।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि गे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लि0 के अन्तर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के बदले विभिन्न ग्रामों में क्षतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु प्रस्तावित समतुल्य गैर वन भूमि हेतु कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि को गैर वन भूमि के रूप में स्वीकार करने के सम्वन्ध में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी /2018 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षण कर प्रमाण पत्र तथा प्रश्नगत क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने अथवा न होने की स्थिति स्पष्ट करने हेतु आख्या/अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में प्राप्त गैर वन भूमि का परीक्षण वी0आई0पी0 शासनादेश दिनांक 28 जून 2019 के अनुसार राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। परीक्षणोपरान्त कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर अन्तर्गत तहसील-लालगंज की रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी, जिसका विवरण सारांश निम्नवत् है-

क्र0 सं0	तहसील का नाम (वन प्रभाग का नाम)	ग्राम का नाम	परीक्षण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि का गाटावार विवरण		VIP-शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का सारांश		अभ्युक्ति
			गाटों की संख्या	रकबा (हे0 में)	गाटों की संख्या	रकबा (हे0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लालगंज (कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर)	महोखर	13	11.402	12	5.402	वर्तमान खतौनी के आराजी संख्या 76 क (क्षेत्रफल 6 हे0) का ए.आर.ओ. जिल्द के अनुसार पुराने गाटो का कुल क्षेत्रफल 5 बीघा 16 बिस्वा पाया गया। इस प्रकार नये गाटे का क्षेत्रफल एवं पुराने गाटों के कुल क्षेत्रफल में भिन्नता होने के कारण आराजी संख्या 76 क स्वीकार योग्य नहीं है।
2		पीड़ीरामपुर	10	18.115	10	18.115	-
3		बड़ीछा	04	48.456	04	48.456	-
4		परसिया मुड़पैली	05	39.600	04	34,600	आराजी संख्या 998 घ के पुराने गाटो का अंश भाग झाड़ी में दर्ज है। अतः वन संरक्षण अधिनियम की परिधि में होने के कारण गाटा संख्या 998 घ स्वीकार नहीं किया गया।

5	बरहुला	16	38.560	0	0	ग्राम बरहुला के गाटों 1359 फसली की नवैयत में अंश गाटा बंजर झाड़ी, धारा-20 आदि से आच्छादित होने एवं वन संरक्षण अधिनियम की परिधि में होने अथवा वन बंजर सूची उपलब्ध न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया।
6	गतावार	12	37.594	0	0	ग्राम गतावार के समस्त 12 गाट (37.594) वर्तमान खरीनी की नवैयत में जंगल झाड़ी से आच्छादित होने एवं वन संरक्षण अधिनियम की परिधि में होने के कारण गाटों को स्वीकार नहीं किया गया।
योग		60	193.727	30	106.573	

उपरोक्तानुसार उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-VIP-23/14-2-2019-190जी/2018 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार परीक्षण करने के उपरान्त उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के सम्बन्ध में, सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी एवं वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनभद्र के पत्र संख्या-1011/33-1 दिनांक 05-04-2025 व पत्रांक 1016/33-1 दिनांक 07-04-2025 एवं 1023/33-1 दिनांक 09-04-2025 (संलग्नक-1, 2 व 3) द्वारा आख्या प्रेषित की गयी, जिसका स्थलवार विवरण निम्न प्रकार है-

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

क्र० सं०	ग्राम का नाम	VIP-शासनादेश के अनुसार उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि का सारांश		क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता की वर्तमान स्थिति	
		गाटों की संख्या	रकबा (हे० में)		
1	2	3	4	5	
1	महोखर	12	5.402	पूरा क्षेत्रफल (5.402 हे०) पथरीला है, कच्चे/पक्के मकान बनाकर एवं अन्य तरीके से जैसे पशुओं को बाधना, गोबर रखना आदि द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है। पूरा क्षेत्रफल वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है।	
2	पौड़ीरामपुर	10	18.115	पूरा क्षेत्रफल(18.115 हे०) पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है।	
3	बड़ौहा	04	48.456	बड़ौहा में 08 हे० के पैच में लगभग 02 हे० वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया, लेकिन वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पार गए यह स्थल (लगभग 02 हे०) वन भूमि से काफी दूर है। इस प्रकार 02 हे० का यह पैच वन भूमि से सटा न होने के कारण इसके प्रबन्धन में काफी कठिनाई आएगी शेष क्षेत्रफल (46.456 हे०) पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है।	
4	परसिया मुड़पेली	04	34.600	पूरा क्षेत्रफल(34.600हे०) पथरीला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है।	
		30	106.573		

अतः उपरोक्तानुसार वी०आई०पी० शासनादेश के अनुसार 106.573 हे० उपयुक्त पायी गयी गैर वन भूमि में ग्राम बड़ौहा में 02 हे० भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी। उपरोक्त गैर वन भूमि का क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावक विभाग (मे० अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०) द्वारा कैमूर वन्य जीव, प्रभाग मीरजापुर को विवाद रहित तथा अतिक्रमण मुक्त जो प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त हो गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।

भवदीय

(Handwritten Signature)

(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

संख्या / समदिनांक

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानुपर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सी0ओ0ओ0 मेसर्स अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड यूनिट-डाला, सिमेन्ट वक्स डाला, सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।

Signature
03/04/2025
(तापस मिहिर)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर
Signature

UltraTech Cement Limited
Unit: Dalla Cement Works

Authorized Signatory